

निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं० 04/2015 (RCMS 2015/00093) अनवानी शिव कुमार पुत्र श्री बिशनदास जाति खत्री निवासी मकान नम्बर एस्.ओ.-6, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर बनाम 1. नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त, नगरपरिषद् श्रीगंगानगर 2. सरस्वती देवी पत्नि संतोष सहारण जाति जाट, निवासी अहाता नम्बर 1019 पुरानी आबादी, वार्ड संख्या 13, श्रीगंगानगर 3. अरविन्द कुमार गोदारा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गोदारा जाति गोदारा निवासी एरु-10, अम्बिका सिटी, श्रीगंगानगर

08.07.2019



प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अमित छाबड़ा एवं अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता एवं अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)0नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी शिव कुमार पुत्र श्री बिशनदास द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.12.2012 से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 138 क्षेत्रफल (6 गुणा 32') जारी किया गया, को अप्रार्थी संख्या 2 की हद तक निरस्त करने के लिए पेश की थी और अब चूंकि धारा 73 के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी शिवकुमार पुत्र श्री बिशनदास द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उत्तरेव
श्रीगंगानगर

मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 24.08.2015 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी। जिसमें उसने नगर परिषद के आदेश दिनांक 12.12.2012 से अप्रार्थी संख्या 02 के प्लॉट में पट्टा संख्या 138 (क्षेत्रफल 6' गुणा 32') जारी किया गया है, को अप्रार्थी संख्या 2 की सम्पत्ति की हद तक निरस्त करने की प्रार्थना की थी। पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी शिवकुमार बनाम नगरपरिषद एवं सरस्वती देवी वगै.(1) को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी लौटाई जाती है। इस आशय का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। नगर परिषद, श्रीगंगानगर को उनकी पत्रावली संख्या 138 दिनांक 12.12.2012 सरस्वती देवी पत्नि संतोष सहारण जाति जाट निवासी अहाता संख्या 1019 पुरानी आबादी वार्ड नं. 13 की प्राप्त छाया प्रति एवं इस न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद ~~एन~~ नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर